The Director of Transport
20 copies
104

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 66 पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 10 फरवरी, 2010

No. 66, Port Blair, Wednesday, February 10, 2010

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
परिवहन निदेशालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 10 फरवरी, 2010

सं. 62/2010/ फा. सं. 20–1/स्था./2009 .— भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11 अप्रैल, 1960 की अधिसूचना सं. 14/3/60–ए.एन.एल. के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 01.08.2008 की अधिसूचना सं. 104/2010/फा. सं. 42–661/2008 टी. आर. का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के परिवहन निदेशालय की स्थापना में टिन स्मिथ के पद की भर्ती पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :–

(i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के (परिवहन निदेशालय में टिन स्मिथ) की भर्ती नियमावली, 2010 कहा जा सकेगा ।

(ii) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :–

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान आदि वही होंगे, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ आदि :–

उक्त पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 15 तक में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी ।

4. अयोग्यताएँ :–

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने :–

क) ऐसे व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो, जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो,

अथवा

ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो,

बशर्ते कि उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी शादी ऐसे व्यक्ति को और शादी के दूसरे पक्ष को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।

5. ढील देने की शक्ति :–

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो वे कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

105

6. व्यावृत्ति :–

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों/आयु सीमा संबंधी रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध कराना अपेक्षित है ।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा निवृत्त) भूपेन्द्र सिंह
उप राज्यपाल (प्रशासक)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(के. सी. अग्रवाल)
विशेष सचिव एवं निदेशक (परिवहन)

अनुसूची
मोटर परिवहन के मंत्रालय/विभाग में टिन स्मिथ पद के लिए भर्ती नियम

1.	पदनाम	टिन स्मिथ
2.	पदों की संख्या	2 (दो)*2010 *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' अराजपत्रित, (अलिपिक वर्गीय)
4.	वेतनमान	रु. 5200–20200(वेतन बैंड–1) ग्रेड वेतन रु.1800
5.	चयन पद या गैर–चयन पद	लागू नहीं
6.	क्या सेवा में परिवर्धित वर्षो के लाभ के. सि से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत स्वीकार्य होगा ?	नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरूष उम्मीदवार के लिए 18–33 वर्ष महिला उम्मीदवार के लिए 18–38 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्षों की छूट) **नोट :** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वही होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की/रोजगार कार्याल से नाम प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी ।
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य :** 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण की हो । 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से टिन स्मिथ का व्यवसाय प्रमाण प्राप्त हो । 3. विधिवत गठित चयन समिति द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो । **वांछनीय :** 1. टिनकार के रूप में कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के स्थिति में लागू होगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 (दो) वर्ष
11.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
12.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की जाने की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	लागू नहीं
13.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	<u>पुष्टि हेतु विचार के लिए वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :–</u> 1. निदेशक, परिवहन विभाग – अध्यक्ष 2. यांत्रिक इंजीनियर, परिवहन निदेशालय – सदस्य 3. सहायक निदेशालय (प्रशासन) परिवहन निदेशालय – सदस्य 4. सहायक अभियंता (यांत्रिक), कर्मशाला प्रभाग अं.लो.नि.वि. – सदस्य
14.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं
15.	कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व	अनुलग्नक I में संलग्न अनुसार

अनुलग्नक–I

टिन स्मिथ के कार्य और उत्तरदायित्व

1. भारी तथा हल्के वाहनों के रख–रखाव के साथ–साथ स्मिथी, प्लेटिंग, बॉडी बिल्डिंग कार्य, वेल्डिंग, ब्राजिंग, सोल्डरिंग से संबंधित सभी कार्य तथा बॉडी मरम्मत से संबंधित अन्य कोई कार्य ।
2. मोटर परिवहन विभाग के अधीन कर्मशाला के कार्य संबंधी दायित्व के निर्वाह में बॉडी बिल्डर, प्लेटर, कारपेंटर तथा चार्जमैन की सहायता करना ।
3. कर्मशाला से संबंधित सभी कुशल और अकुशल कार्य करना ।
4. मोटर परिवहन विभाग के वाहनों की बॉडी मरम्मत कार्य से संबंधित सभी कार्य ।
5. टिन स्मिथ नवीनीकरण अनुभाग में प्रयुक्त उपकरणों तथा संयंत्रों के रख–रखाव के लिए जिम्मेदार होगा ।
6. टिन स्मिथ अकुशल कामगारों से कार्य करवा सकेगा ।
7. टिन स्मिथ अपने उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों को भी करेगा ।

MGPPB— 66/Gazette/2010 — 35 Copies (BM)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 114, पोर्ट ब्लेयर, गुरुवार, 03 मई, 2018

No. 114, Port Blair, Thursday, May 03, 2018

MT/20-1(A)/Estt./RR/2017/5004

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF TRANSPORT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 3rd May, 2018.

No. 113/2018/F. No.20-1/Estt./RR/2017.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Notification No. 14/3/60-ANL dated 11/04/1960, and in pursuance of DoPT's OM No.AB. 14017/13/2016-Estt. (RR) dated 9/8/2016, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands, hereby makes the following Amendments to the Recruitment Rules to the post of **Tinsmith (Group-C)** borne in the establishment of Directorate of Transport, Andaman & Nicobar Administration published in the A & N Extraordinary Gazette Notification No.66 dated 10/02/2010.

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :-**

   (i) These Rules may be called the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands **(Tinsmith)** Recruitment **(Amendment)** Rules, 2018.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

AMENDMENTS

2. (i) The existing **Column 4** of the **Schedule** appended to the Recruitment Rules (hereinafter called for brevity as the "said Recruitment Rules") shall be substituted as under :-

Level in the Pay Martix	**Level-01 (Rs.18000-56900)**

Admiral D K Joshi
Lieutenant Governor,
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd./-
Secretary (Transport)

MGPPB—114/Gazette/2018— 25 Copies. (DR-HCL-X)

107